

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग।

प्रपत्र-2

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना,  
2011 के अधीन पूर्ण स्थायी/आंशिक निःशक्तता के मामले में अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र।

(तीन प्रतियों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी को दिया जाएगा।\*)

1. (क) दावेदार का नाम — .....
  - (ख) उम्र — .....
  - (ग) कार्य स्थल — .....
  - (घ) कार्य की प्रकृति — .....
  - (ङ) पता — ग्राम/मुहल्ला — .....
  - पंचायत/वार्ड — ..... पो0 — .....
  - थाना— ..... अंचल/प्रखण्ड .....
  - जिला — .....
2. दुर्घटना का विवरणी :-
    - (क) दुर्घटना की तिथि — .....
    - (ख) समय — .....पूर्वाहन/अपराहन
    - (ग) स्थान — .....
    - (घ) दुर्घटना का समग्र ब्योरा — .....
3. निःशक्तता का विवरण :-
    - (क) निःशक्तता का पूर्ण विवरण — .....
    - (ख) निःशक्तता का प्रकार — पूर्ण स्थायी/आंशिक अपंगता
4. निःशक्तता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम — .....
5. अभिलेख संलग्न-इस आवेदन के साथ दावेदार के प्रयोजनार्थ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे।
    - (क) आवासीय प्रमाण-पत्र, —
    - (ख) उम्र का प्रमाण पत्र, —
    - (ग) आवेदक के अपंग स्थिति को दर्शाती तस्वीर, —
    - (घ) दुर्घटना के संबंध में थाना में दी गयी सूचना की एक प्रति या मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यदि दुर्घटना के संबंध में थाना का सूचित करना कानूनन आवश्यक नहीं हो, तो,
    - (ङ) अपंगता प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हों (सरकारी अस्थि शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवमान्य होगा)
    - (च) मुखिया/पंचायत का वार्ड सदस्य/सदस्य पंचायत समिति/शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक के कार्य को प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जिसमें वह कार्यरत है/था।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना गलत पाई जाती है तो मेरा दावा अवैधानिक करार दिया जाएगा एवं

मुझ पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

## साक्षी

1. नाम एवं पता  
(क)  
(ख)

दावेदारों का हस्ताक्षर

- \* आवेदक को पावती के साथ एक प्रति लौटा दी जाएगी।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय -----  
जिला -----

### जाँच प्रतिवेदन

- (a) दावेदार की वैधता—
- (b) निःशक्तता के कारण के संबंध में मंतव्य
- (c) निःशक्तता की प्रकृति के संबंध में मंतव्य—पूर्ण स्थायी निःशक्तता/आंशिक निःशक्तता
- (d) क्या दावेदार असंगठित क्षेत्र का कामगार/शिल्पकार है/था—हाँ/नहीं
- (e) यदि हाँ, तो कार्य की प्रकृति—
- (f) दावेदार की उम्र —

दावों की जाँच मेरे द्वारा की गई। जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। मैं अनुशंसा करता हूँ कि दावे को निम्न कारणों से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है :-

---

स्थान —  
दिनांक —

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर (मुहर)

**जिला पदाधिकारी का कार्यालय—**

दावा की जाँच .....(पदाधिकारी का नाम) द्वारा की गयी एवं उनका निष्कर्ष स्वीकार योग्य है / स्वीकार योग्य नहीं है। दावा को स्वीकृत किया जाता है एवं यह आदेश दिया जाता है कि दावेदार को बिहार शताब्दी असंगठीत कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के तरह रु0— का भुगतान किया जाए/ दावा को निम्नांकित आधार पर अस्वीकृत किया जाता है:—

---

---

---

**श्रम अधीक्षक /**

**सहायक श्रमायुक्त**

**या**

**जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकृत पदाधिकारी**

**जिला पदाधिकारी**

**का हस्ताक्षर (मुहर) ।**

स्थान—

तारीख—

आवेदक श्री.....पता.....

को रुपये.....का भुगतान तारीख.....को चेक/बैंक डाफ्ट संख्या.....

तारीख.....जारी करने वाला बैंक का नाम .....

द्वारा किया गया ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर

एवं मुहर